न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासं (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

बहक श्री इन्द्रचन्द
पुत्र श्री चांदमल
जाति कुमावत नि. भकरी
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 16 /2018

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शीलभकरी खसरा नम्बर 362 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गै. मु. [illegible] (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री इन्द्रचन्द पुत्र श्री चांदमल जाति कुमावत निवासी भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा खेत लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तंगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस तामील शुदा प्राप्त जो शामिल मिसल है, अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शीलभकरी ख.न. 362 रकबा 2.43 है. किस्म गै. मु. [illegible] पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर .... कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6रु. प्रति हे. का 50 गुणा रूपया 729/- (रूपये सात सौ उन्नतीस रु. मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विति हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक खाटोल एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायव तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
पंजिका 'ग' वष .... के पृष्ठ सं. 54
पर प्र. [illegible] 729/- [illegible] की
[illegible]

तहसील राजस्व लेखाकार